

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं
विशिष्ट शासन सचिव कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302005
Email- indrajfo5@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 9/3/1/आ.उ./मार्केटिंग/स्टील फर्नीचर/2019

दिनांक : 30.03.2022

कार्यालय आदेश

राजसिको द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागों, उपक्रमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को आपूर्ति हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-2 के नियम 30 के एनेक्सचर 'ए' एवं RTPP Act & Rule 2013 के Rule 32 के एस.ओ. 135 के 4 (घ) के प्रावधानानुसार उद्योग (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 09.04.2021 द्वारा गठित समिति की सिफारिश के उपरान्त निम्न आईटमों की दरें निर्धारित की जाती है :

क्र.सं.	आईटम	कन्वर्जनचार्ज की अनुमोदित दर
1.	पॉलिथीन बैग्स : निविदा की शर्तों के अनुसार कच्चे माल दर एल.डी.पी.ई. ग्रेन्यूल्स रिलायन्स इण्डिया लि. की दरों के आधार पर परिवर्तनीय है, अतः केवल कन्वर्जन चार्ज ही निर्धारित किया जाता है।	Local Rate रुपये 16260/- प्रति टन तथा FOR (Rajasthan) 18260/- प्रति टन एवं जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा।
2.	कांटेदार तार : निविदा की शर्तों के अनुसार कच्चे माल एम.एस.वायर रोड 8 एम.एम. ग्रेड आई.एस. 7887 की दर राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. जयपुर की दरों के आधार पर परिवर्तनीय है, अतः केवल कन्वर्जन चार्ज ही निर्धारित किया जाता है।	(अ)अनगैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार : Local Rate रुपये 19250/- प्रति टन तथा FOR (Rajasthan) 21250/- प्रति टन एवं जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा। (ब)गैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार : Local Rate रुपये 27940/- प्रति टन तथा FOR (Rajasthan) 29940/- प्रति टन एवं जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा।

उक्त दरें तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है। उक्त दरें एक वर्ष अर्थात् उक्त कार्यालय आदेश से एवं दर निर्धारण समिति द्वारा दरों का पुनः निर्धारण करने से, जो भी पहले हो, तक के लिये प्रभावी होगा। अन्य शर्तें निविदा की शर्तों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधान अनुसार लागू रहेगी।


(वाई.एन.माथुर)

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं
विशिष्ट शासन सचिव कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005
Email- indrajfo5@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 9/3/1/आ.उ./मार्केटिंग/स्टील फर्नीचर/2019

दिनांक : 30.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रबन्ध निदेशक, राजसिको, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, एम.एस.एम.ई, विकास संस्थान, 22 गोदाम, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, उद्योग एवं वाणिज्य।
5. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य।

(वाइ.एन.माथुर)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य